न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 43/2020(2020/00044)

अनवान : —

1. शिवपाल पुत्र महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. महेन्द्रपाल पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. सुरेन्द्रपाल पुत्र महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. पूजा पुत्री महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. आरती पुत्री महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. तारावती पत्नी महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरेन्द्र मील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 28/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 डीपीएन के वर्तमान खाता संख्या 87/87 के मु0न0 57 किला न0 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रपाल के नाम से 1/6 हिस्सा एवं चक 5 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 100/86 के मुरब्बा न0 22 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 25, मुरब्बा न0 23 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 24 मुरब्बा न0 34 के किला न0 1ता 4, 10 मुरब्बा न0 35 के किला न0 1 ता 10 कुल 13.915 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रपाल के नाम से 1/3 हिस्सा, चक 5 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 56/57 के मुरब्बा न0 22 के किला न0 1/2, 10/3, 11/3 की 0.544 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1महेन्द्रपाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:29 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि जो प्रतिवादी महेन्द्रपाल के नाम दर्ज है वह महेन्द्रपाल को अपने पूर्वजों से विरासतन में मिली हुई है। वादी भूमि में वादी का

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

भी प्रतिवादीगण के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी महेन्द्रपाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रपाल को विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बराबर तर्क किया हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रपाल के नाम दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी शिवपाल पुत्र महेन्द्रपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में वाद भूमि की प्रमाणित जमाबन्दी चक 8 डीपीएन सम्वत 2072–75 खाता संख्या 87/87 प्रदर्श 1, जबान्दी चक 5 एमएसआर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 56/57 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 5 एमएसआर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 100/86 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया तथा प्रतिवादी महेन्द्रपाल के नाम दर्ज चक 8 डीपीएन के खाता संख्या 87/87 व चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 100/86 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार तथा चक 5 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 56/57 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रपाल के नाम दर्ज भूमि में से केवल 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार बराबर घोषित करवाना चाहा है। जबकि चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 56/57 में स्थित भूमि प्रतिवादी महेन्द्रपाल को विरासतन में मिली [illegible] कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:29 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें हस्तगत वाद वादी रोही मौजा चक 8 डीपीएन के खाता संख्या 87/87 व चक 5 एमएसआर के खाता संख्या

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

100/86 के अलावा चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 56/57 की भूमि पैत्रक होना व उसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा होना साबित नही है।

अतः वाद वादी आंशिक रूप से डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 डीपीएन के वर्तमान खाता संख्या 87/87 के मुरब्बा न0 57 के किला न0 1 ता 25 कुल किता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या महेन्द्रपाल के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा व चक 5 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 100/86 के मुरब्बा न0 22 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 25, मुरब्बा न0 23 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 24 मुरब्बा न0 34 के किला न0 1ता 4, 10 मुरब्बा न0 35 के किला न0 1 ता 10 कुल 13.915 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रपाल के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें वादी शिवपाल व प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रपाल व प्रतिवादी संख्या 2 सुरेन्द्रपाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला—हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:29 IST
Reason: SelfAttested